न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 39/2023 (2023/138)

1. मनोज पुत्र काना जाति कुम्हार निवासी खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान ---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. संगीता देवी पत्नि पवन कुमार काकानी जाति माहेश्वरी निवासी वार्ड नं. 5 माहेश्वरी मोहल्ला गंगरार जिला चितोडगढ
2. मूलचन्द पुत्र नाथू जाति माली निवासी खवास
3. गीता देवी पत्नि रामप्रसाद जाति कुम्हार
4. मनीष पुत्र रामप्रसाद जाति कुम्हार
5. राजेश पुत्र रामप्रसाद जाति कुम्हार

समस्त निवासीगण खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर -----अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

दिनांक 05.06.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प खवास में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
540–72	1683 4731/1682	0.02 0.56	गै.मु.पाल नहरी 2
	कुल किता 2	**कुल रकबा 0.58 हैक्टर**	

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है एवं किसी दीगर व्यक्ति का किसी प्रकार का हक व हिस्सा अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 प्रार्थी की आराजीयात के पडोसी है जिनकी आराजीयात प्रार्थी की आराजीयात के लगवा स्थित है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 प्रार्थी की आराजीयात में जबरन घुस कर सीमा चिन्हो को नष्ट भ्रष्ट कर देते है तथा आये दिन सीमा विवाद करते है जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 में सीमा विवाद के कारण लडाई झगडा होता रहता है एवं हमेशा विवाद होने का अन्देशा सदा बना रहता है। दिनांक 12.12.2022 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की आराजी में सीमा चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया तथा अन्दर तक जबरन कब्जा कर लिया। प्रार्थी द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करनें पर आमादा हो गये जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 3 लगायत 5 आज दोराने केम्प स्वयं उपस्थित होकर अनापत्ति जाहिर की तथा पत्रावली में उपस्थिति के हस्ताक्षर किये। केम्प में उपस्थित पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम/कस्बा खवास तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 540–72 में दर्ज खसरा संख्या 1683, 4731/1682 किता 2 कुल रकबा 0.58 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प खवास में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर